## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 164 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांकः —30 / 03 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000902015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

बबलू पिता चिरोंजीलाल नागपुरे, उम्र 25 वर्ष, निवासी पवार मोहल्ला बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

# <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

# (आज दिनांक 06.02.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.02.2015 को समय 08:30 बजे या उसके लगभग लिलत किराना के सामने रोड पर बोडखी नाका थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कमलेश और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को लात घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.02. 2015 को अपनी बस नाके पर रोड किनारे खड़ी कर नाश्ता कर रहा था। तभी वहीं पर रहने वाला अभियुक्त ने उसे कहा कि दारू पिला तो उसने मना कर दिया जिस पर अभियुक्त उसे मां बहन की गंदी गंदी मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा उसे गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे लात घुसों से मारा। मारपीट से उसे गाली, सीने पर चोट आयी। अभियुक्त ने पत्थर से उसकी बस की खड़की की कांच भी फोड़ दी तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 132/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में

पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी कमलेश को लात घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

# ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

## विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

- 5 अभियुक्त द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 6 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी कमलेश (अ. सा.—1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा

फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि उपर्युक्त साक्षी ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

- 7 कमलेश (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे गाल पर, आंख में घूसा मारा और सीने में एक लात मारी जिससे वह गिर गया। उसके बाद अभियुक्त ने पत्थर उठाकर गाड़ी पर मारा जिससे गाड़ी के दोनों तरफ के कांच फूट गये थे। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ था और उसने घ ाटना की रिपोर्ट थाने में की थी।
- 8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—2) ने दिनांक 13.03.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कमलेश का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये थे परंतु आहत ने छाती, दांहिनी आंख एवं बांये पैर में दर्द होना बताया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—6) को प्रमाणित किया है।
- 9 ओ.पी. यादव (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 13.03.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने पर उसने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 132 / 15 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—1) लेखबद्ध किया जाना एवं दिनांक 14.03.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2), बस क. एमपी—48—पी—0266 का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी—3) तथा दिनांक 17.03. 2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—8) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी के कथनों में भी विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

- 11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के पिरप्रेक्ष्य में प्रकरण में साक्षी बलराम (अ.सा.—3), गुड्डू टेकाम (अ.सा.—5), सोनू (अ.सा.—6) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि उनके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु मात्र उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से अभियोजन कथा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता क्योंकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण के अभियोजन का समर्थन न करने से संपूर्ण अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।
- 12 अभिलेख पर एकमात्र फरियादी / आहत कमलेश की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनिसंह उर्फ हरभजनिसंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं?
- 13 कमलेश (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय बस क. एमपी—48—पी—0266 में ज़ायवरी करता था। घटना के समय बस खड़ी करके बस्ती में अपने घर की ओर जा रहा था तभी अभियुक्त मिला और उससे दारू पिलाने के लिए कहा। जब उसने मना किया तो अभियुक्त ने उसके गाल, आंख पर घूसा मारा, सीने पर एक लात मारी जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद अभियुक्त ने गाड़ी पर एक पत्थर फेंककर मारा जिससे गाड़ी के कांच टूट गये। मौके पर उपस्थित लोगों ने घटना देखी थी।
- 14 कमलेश (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना जिस दिन हुई थी उस दिन उसने शिकायत नहीं की थी। साक्षी ने आगे बताया है कि उसने एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने बस वालों के कहने पर घटना की रिपोर्ट की थी। बस वाले पैसे की मांग कर रहे थे, उसकी तनख्वाह से पैसे भी काट लिये थे। जब उससे बस वालों ने यह कहा कि हम तुम्हारे पैसे काट रहे है, तुम तुम्हारा देख लो, तब उसने अभियुक्त की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैतूल में की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट

नहीं की थी।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 12.02.2015 की रात्रि 08:30 बजे की है तथा थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.03.2015 है। इस प्रकार लगभग फरियादी के द्वारा एक माह पश्चात रिपोर्ट लेख करायी गयी है। विलंब का कोई भी समुचित स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन एवं फरियादी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। आहत का परीक्षण भी दिनांक 13. 03.2015 को किया गया तथा आहत के परीक्षण में कोई भी चोट के निशान नहीं पाये गये, मात्र दर्द होना पाया गया। फरियादी के द्वारा लगभग एक माह पश्चात घ एना की रिपोर्ट किये जाने से एवं विलंब का कोई भी समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। साथ ही फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कमलेश और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को लात घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त बबलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)